

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 739 /

दिनांक 26/04/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Prem Shankar Prabhakar
At-Ward No-3, P.O-Tenghraha
P.S-Bheja, Dist-Madhubani
Pin-847408 (Mob No-7294900120.)

विषय:-

शीर्ष MIMGSY योजना अन्तर्गत PMGSY Road (Benipur Manigachhi) to Dom Tola तक पथ निर्माण
कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 33 SBD/2018-19 दिनांक- 28.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा एकरारनामा संख्या-33 SBD/2018-19 दिनांक- 28.01.2019 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक- 27.07.2019 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पॉच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं मोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच कनीय अभियंता, मनीगाछी द्वारा भी BRRMS App से दिनांक-28.11.2023 को किया गया, जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। इसके बाद सहायक अभियंता, मनीगाछी द्वारा भी BRRMS App से दिनांक-12.12.2023 को किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। पुनः सहायक अभियंता, मनीगाछी द्वारा दिनांक-10.03.2024 को BRRMS App से किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 एवं रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर दिया गया है। फिर भी आपके द्वारा उक्त पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक-25.04.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियाँ निम्न प्रकार से है :-

- (1) पथ के फ्लैक में चैनैज-200मी0 से 415मी0 तथा अन्य जगहों पर जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
 - (2) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।
 - (3) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड को पुनः पेंटिंग कराना एवं उसका वॉछित सूचनायें अंकित करना।
- अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियों को यथाशीघ्र एक सप्ताह के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे। अन्यथा SBD के Clause of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाजन

26/4/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 739 / दिनांक 26/04/2024

प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Raw
26/4/24
JE

26/4/24

कार्यपालक अभियंता,

Raw
26/4/24
JE
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2